संख्या: 66/2024/989/छप्पन-2024-47/2015

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 13 अगस्त, 2024

विषय: राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM के लिये Improved Inlet Assembly, P.N MK716RA0001-5 के क्रय पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-88 ना0उ0नि0/इंजी/(यू0पी0एम0)/24-आई/2023 दिनांक 04 जुलाई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके संदर्भगत पत्र में अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या 24/2023/226/छप्पन-2023-47/2015 दिनांक 15.03.2023 एवं शुद्धि पत्र के कार्यालय ज्ञाप सं0 378/छप्पन-2023-47/2015 दिनांक 16.03.2023 एवं शासनादेश संख्या 15/2024/68/छप्पन-2024-47/2015 दिनांक 02.02.2024 द्वारा राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM के लिए Improved inlet Assembly P.N MK716RA0001-5 को निर्माता फर्म M/s. Textron Aviation, U.S.A. से क्रय किए जाने हेतु कुल यू.एस. डालर 52602.76 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 84 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से कुल रूपये 44,18,632/- (रूपये चौवालीस लाख अट्ठारह हजार छः सौ बत्तीस मात्र) एवं उक्त के क्रय Shipment पर हुये अतिरिक्त व्यय यू.एस. डालर 1944.76 (USD 54547.52-52602.76) जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 84/-प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से कुल रू0 1,63,360/- के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि M/s. Textron Aviation, USA से INLET Assembly, P.N MK716RA0001-5 की modification fee के अतिरिक्त भुगतान हेतु Debit Memo No. CJ15200105 dt: 26.09.2023 USD 23,400.00 प्राप्त हुआ है। राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM से निकालकर भेजी गई INLET Assembly Unmodified थी। जिसका M/s. Textron Aviation, USA द्वारा modification किये जाने पर यू0एस0 डालर 23,400.00 का अतिरिक्त भुगतान किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत M/s. Textron Aviation. USA को राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM से निकालकर भेजी गई Unmodified INLET Assembly के modification पर होने वाले अतिरिक्त व्यय/modification fee यू0एस0 डालर 23,400.00 जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 85/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से रू0 19,89,000.00 (रूपये उन्नीस लाख नवासी हजार) मात्र होता है, की प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति एवं बिल बेसिस पर भुगतान की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 04 जुलाई, 2024 द्वारा किया गया है।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM के लिये Improved Inlet Assembly, P.N MK716RA0001-5 का modification निर्माता कम्पनी M/s. Textron Aviation, USA से कराए जाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय/modification fee यू0एस0 डालर 23,400.00 जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 85/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से रू0 19,89,000/- (रूपये उन्नीस लाख नवासी हजार मात्र) होता है, की प्रशासकीय, वित्तीय एवं बिल बेसिस पर भुगतान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

3/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 66/2024/989(1)/छप्पन-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।